

## फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम


लोक सूचना अधिकारी, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 48 / 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/06/20	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्त हेतु आवेदन दिनांक 04.03.2020, 11.03.2020, 14.03.2020 एवं 28.03.2020 लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किए गए। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्रों से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी सहायक अभियंता, अ. वि. वि. नि. लि., चित्तौड़गढ़ से संबंधित है जो कि विद्युत विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अधीक्षण अभियंता, अ. वि. वि. नि. लि. चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



  
(चेतन देवता)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)